भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1367
दिनांक 30 जुलाई, 2021 के लिए प्रश्न

जानवरों के साथ हिंसा और क्रूरता

1367 श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री जी.सी. चन्द्रशेखर:
श्री राजमणि पटेल:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जानवरों के साथ/विरुद्ध होने वाली दुर्व्यहार, चोरी, बलात्कार (पशुता) जैसी क्रूरता से संबंधित अपराधों के कोई आधिकारिक आंकड़े रखती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और ऐसे आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से कहां देखा जा सकता है और वर्ष 2016 से हुए ऐसे अपराधों की वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या संकटग्रस्त जानवरों की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों हेतु कोई राष्ट्रीय हेल्पलाइन या अन्य समान तंत्र/पोर्टल उपलब्ध है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(च) क्या सरकार का ऐसा तंत्र शुरू करने का कोई इरादा है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) सरकार अपराध का कोई लेखा-जोखा नहीं रखती है। यद्यपि, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पशुओं के प्रति क्रूरता के संबंध में रिपोर्ट की गई शिकायतों का एक डाटा रखता है। वन्यजीव अपराध ब्यूरो भी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन के मामलों का निपटान करता है।

(ख) पशु क्रूरता अपराधों पर डेटा संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा रखा जाता है। भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) पशु क्रूरता से संबंधित शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित करता है। भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में प्राप्त पशु क्रूरता से संबंधित शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया जाता है। वर्ष 2015-16 से अब तक (25.07.2021 तक) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	वर्ष	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गये पशु क्रूरता के मामलों की संख्या
1	2015-16	228
2	2016-17	256
3	2017-18	225
4	2018-19	144
5	2019-20	300
6	2020-21	383
7	2021-22	210 (25.7.2021 तक)

(ग) से (छ) भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) एक सांविधिक निकाय है। यह पशुओं के प्रति क्रूरता सहित पशु कल्याण से संबंधित मामलों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार वैधानिक कानूनों का कार्यान्वयन राज्य सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। राज्य सरकार अपराध को रोकेगी, उसका पता लगाएगी, पंजीकरण करेगी, जांच करेगी और अपराधियों पर मुकदमा चलाएगी। एडब्ल्यूबीआई पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों और उसके नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से पत्राचार कर रहा है।

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, प्राप्त शिकायतों के संबंध में समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र भेज कर उनसे कानून के अनुसार अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध करता है। एडब्ल्यूबीआई पशुओं को अनावश्यक दर्द या पीड़ा से बचाने के लिए राज्य पशु कल्याण बोर्ड एवं प्रत्येक जिले में जिला पशु क्रूरता निवारण समिति (डीएसपीसीए) स्थापित या पुनर्गठित करने हेतु राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों से लगातार पत्राचार करता है।

पशुओं के प्रति क्रूरता/संकटग्रस्त पशुओं से संबंधित मामलों या पशुओं के कल्याण से संबंधित किसी भी अन्य मुद्दे के संबंध में सूचित करने और तत्काल आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए एडब्ल्यूबीआई का स्वयं का नंबर 09650609880 और ईमेल आईडी animalwelfareboard@gmail.com है।